# बिहार सरकार
## लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

## अधिसूचना

सं0-1/एम0-1-1012/2018- 266 पटना, दिनांक- 30-5-2018

जिला पदाधिकारी किशनगंज ने अपने ज्ञापांक-528, दिनांक-28.03.18 के माध्यम से विभाग को प्रतिवेदित किया है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल किशनगंज अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत दिनांक-02.10.2014 से 30.06.2016 तक निर्मित शौचालयों के निर्माण के क्रम में लाभुकों का अभिलेख से इतर फर्जी तरीके से भुगतान एवं अभिलेखों का त्रुटिपूर्ण संधारण किया गया है। इस प्रकार उक्त योजना में वित्तीय अनियमितता बरतते हुये सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है। उक्त बरती गई अनियमितता में अन्य कर्मियों के साथ मो0 नबी हसन, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल किशनगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल अररिया की भी संलिप्तता मानते हुये भा0द0वि0, बिहार भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एवं आई0टी0 अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी संख्या-207/2018, दिनांक-20.03.18 दर्ज की गई है।

इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया के पत्रांक-20, दिनांक-11.04.18 से विदित होता है कि मो0 हसन दिनांक-02.04.18 से 08.04.18 तक आकस्मिक अवकाश का आवेदन अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को समर्पित किया था जिसे अस्वीकृत किये जाने के बावजुद वे उक्त तिथि से ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। जिससे उक्त प्रमंडल के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि मो0 हसन का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1) एवं बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम-33 में विहित प्रावधानों के विपरीत है। इन प्रावधानों के उल्लंधन के लिए श्री हसन दोषी है एवं लोकहित में मो0 हसन को निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अत: मो0 नबी हसन, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल किशनगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1) (ग) के तहत लोकहित में आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

(2) निलंबन अवधि में मो0 हसन का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया रहेगा।

(3) निलंबन के दौरान मो0 हसन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10(1) के अन्तर्गत जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/5/18

(नवीन कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 1/एम0-1-1012/2018 267 पटना, दिनांक- 30.5.2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/अररिया/जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णियाँ/अररिया को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/18

(नवीन कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 1/एम0-1-1012/2018 267 पटना, दिनांक- 30.5.2018

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-5/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना/ मो0 नर्बा हसन, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल किशनगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/18

(नवीन कुमार)

संयुक्त सचिव